

## दलितों के शैक्षिक विकास में बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान



डॉ. वासुदेव शेट्री

सह प्राध्यापक, सरकारी महिला कॉलेज, मंड़वा .

### Short profile

डॉ. वासुदेव शेट्री , सह प्राध्यापक, सरकारी महिला कॉलेज, मंड़वा .



### सार:

आंबेडकर स्वयं एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्होंने दलित समुदाय के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई और औरंगाबाद में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उनका शैक्षिक दर्शन उनके व्याख्यानों, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों और शिक्षण संस्थानों में उनके काम से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को सामाजिक परिवर्तन का संस्थान होना चाहिए। शिक्षा को समाज के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसका उपयोग चरित्रवान व्यक्तियों के विकास के लिए किया जाना चाहिए, आंबेडकर के –ढ़ मत थे। प्रस्तुत पत्र आंबेडकर के शैक्षिक विचारों के संबंध में। आंबेडकर ऐसी शिक्षा चाहते थे जो न केवल नागरिकों में जागरूकता और मानवाधिकारों का संचार करे बल्कि भारत में मानवीय गरिमा और न्याय की भी शिक्षा दे। उनके अनुसार, शिक्षा आंखें खोल सकती है और उत्पीड़ितों को सदियों से उनके साथ हो रहे अन्याय और शोषण से लड़ने और समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। उन्होंने शिक्षा की कमी को गरीब लोगों के पिछेपन का मुख्य कारण बताया। उन्होंने एक मानवतावादी शिक्षा को प्राथमिकता दी जो मनुष्य को चर्च, स्कूल या राज्य का छात्र होने के बजाय खुद को फिर से खोजने और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में कुछ अधिकार निर्धारित किए।

### Article Indexed in :

DOAJ

Google Scholar

DRJI

BASE

EBSCO

Open J-Gate

### परिचय:

शिक्षा हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको एक शानदार जीवन जीने या एक अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के लिए भी बदल देती है। शिक्षा हमारे निकट भविष्य में कुछ रचनात्मक बनाने के बारे में है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही आप बढ़ेंगे। शिक्षित होना और पेशेवर डिग्री प्राप्त करना आपको प्रतिष्ठित संस्थानों, कंपनियों या संगठनों में भाग लेने के लिए तैयार करता है। जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है वही एक अच्छा नागरिक बनता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ने समाज और जीवन शैली में महान सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। शिक्षा के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। यह व्यक्ति और समाज के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सभी माध्यमों के लिए शिक्षा समाज, प्रगति और विकास के सभी चरणों में सबसे महत्वपूर्ण बहस है।

आंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के जनक थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, विचारक, लेखक, अर्थास्त्री, संपादक और भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थानवादी भी थे। उनका शैक्षिक दर्शन व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के विकास पर जोर देता है। आंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जानी चाहिए। ‘शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।’ आंबेडकर के पास बुनियादी शैक्षिक विचार थे। आंबेडकर जानते थे कि समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर समाज के पुनर्गठन के लिए शिक्षा एक आवश्यक शर्त है। भारतीय समाज में शिक्षा के विकास का अध्ययन करते हुए उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र में पेशवा शासन और ब्रिटिश शासन के पहले के काल में भी शिक्षा का अधिकार उच्च जातियों तक ही सीमित था। उन्होंने बिना जाति और लैंगिक भेदभाव के लोगों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। बजट बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा, ‘शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे प्रतिदान के आधार पर व्यवहार किया जा सकता है। शिक्षा को हर संभव तरीके से और यथासंभव अधिक से अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम और प्राथमिक शिक्षा सुधार विधेयक पर बहस में सक्रिय भाग लिया और शैक्षिक सुधार के लिए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और बॉम्बे और औरंगाबाद में कॉलेज शुरू किए। उन्होंने बार-बार सरकार से कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन लड़के और लड़कियों को अलग-अलग शिक्षा मिलनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले भारत जन्म के आधार पर जातियों में विभाजित था। निचली जाति के लोगों यानी अनुसूचित जाति के लोगों को शैक्षिक सुविधाओं सहित सभी विशेषाधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। वे इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन पर तमाम शिक्षण संस्थानों के दरवाजे बंद थे। यदि कोई अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का साहस करती है तो उसे कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। उनकी छाया अन्य छात्रों पर न पड़े। इसलिए वे शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे।

आंबेडकर ने ज्ञान के दो उद्देश्यों की पहचान की: पहला, इसे दूसरों की भलाई के लिए प्राप्त करना और दूसरा, इसे अपने भले के लिए उपयोग करना। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के खिलाफ भी तर्क दिया जिसका उद्देश्य श्रमिकों की लिपिक प्रकृति को विकसित करना था। उन्होंने सामाजिक मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य दलित वर्गों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए प्रबुद्ध करना है। आंबेडकर के सामाजिक और नैतिक दर्शन का उद्देश्य निराश लोगों को उनकी सोच और पुराने व्यवहार-पद्धतियों को बदलने और शिक्षा के माध्यम से एकता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए जागृत करना था। सभी धर्मों, क्षेत्रों, वर्गों और जातियों के बच्चों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और नैतिक चरित्र के मूल्यों को विकसित करना उनके शिक्षा के दर्शन का मूल विषय था।

### Article Indexed in :

DOAJ  
BASE

Google Scholar  
EBSCO

DRJI  
Open J-Gate

आंबेडकर का मानना था कि शिक्षा अछूतों के उत्थान में बहुत योगदान देगी। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सलाह दी। ज्ञान मुक्तिदायी शक्ति है। शिक्षा मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, उसे आत्म-सम्मान की भावना देती है और भौतिक रूप से बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। अछूतों के पतन का एक कारण यह था कि उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। आंबेडकर ने निचली जातियों के बीच शिक्षा को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं देने के लिए ब्रिटिश शिक्षा नीति की आलोचना की। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन के तहत भी, शिक्षा मुख्य रूप से उच्च जातियों और अछूतों के लिए बनी रही और विभिन्न शैक्षिक केंद्रों को वित्तपोषित किया। गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में, उन्होंने अछूत छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंबेडकर चाहते थे कि अछूतों को उदार शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों मिले। वे विशेष रूप से धार्मिक तत्वावधान में शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा में केवल धर्मनिरपेक्षता ही छात्रों में ख्यतंत्रता और समानता के मूल्यों को पैदा कर सकती है।

जैसा कि भारत एक बहुभाषी देश है, आंबेडकर क्षेत्रीय दबावों और तनावों के कारण देश की एकता में समर्थ्याओं की संभावना से अवगत थे। जब भाषाई राज्यों का विचार पेश किया गया, तो उन्होंने दो कारणों से इसका समर्थन किया। सबसे पहले, यह देश में लोकतंत्र के कामकाज को सुगम बनाएगा; दूसरे, भाषाई राज्य जातीय और सांख्यकित तनाव को कम करने में मदद करेंगे। अपने विचार व्यक्त करते हुए, आंबेडकर ने कहा, 'भाषाई राज्यों को बनाने के अपने प्रयासों में भारत सही रास्ते पर है। यह वह मार्ग है जिसका सभी राज्यों ने अनुसरण किया है। अन्य भाषाई राज्यों के मामले में वे शुरू से ही वहाँ रहे हैं। भारत के मामले में, उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को रिवर्स गियर में झौंकना होगा। लेकिन जिस सड़क पर वह यात्रा करने का प्रस्ताव करती है वह एक अच्छी तरह से चलने वाली सड़क है।' आंबेडकर के अनुसार, भाषाई राज्यों के विचार को अपनाने के उत्साह में, भारत क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने की गंभीर गलती कर सकता है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय भाषाएँ उनकी आधिकारिक भाषाओं के रूप में राज्यों को अलग-अलग राष्ट्रीयताओं की आकांक्षा के लिए प्रेरित कर सकती हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। भविष्य में इस संभावना से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान में यह उल्लेख होना चाहिए कि जब तक हिंदी इस स्थिति के लिए योग्य नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रावधान के बिना भाषाई राज्य खतरे में पड़ जाएंगे। भारत को एक अखंड देश बनाए रखने के लिए भारतीयों को पहले भारतीय और अंत में भारतीय होना चाहिए। भाषाई राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को उनकी आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देना इस सिद्धांत के विपरीत है। आंबेडकर ने कहा 'एक भाषा एकजुट हो सकती है। दो भाषाएँ लोगों को विभाजित करने के लिए निश्चित हैं। भाषा के माध्यम से संस्कृति को बनाए रखा जाता है। चूंकि भारतीयों को एकजुट करना और एक सामान्य संस्कृति विकसित करना है, यह सभी भारतीयों का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वे हिंदी को एक भाषा के रूप में स्वीकार करें।'

### शिक्षा के लिए आंबेडकर की दण्डिगोचर:

आंबेडकर के अनुसार, 'विद्यालय एक पवित्र संस्था है जहाँ छात्रों का मन सुसंस्कृत होता है।' विद्यालयों में नियमित कार्य अनुशासित तरीके से किया जाए। स्कूल अच्छे नागरिक बनाने का कारखाना है। इस संगठन के कुशल फोरमैन कच्चे माल को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलते हैं। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और एक आदर्श शिक्षण संस्थान की शुरुआत की। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय जाति-धर्म का विचार किए बिना उच्च शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अपने संस्थान में दलित समुदाय के छात्रों के प्रवेश को महत्व दिया, लेकिन स्कूल में शिक्षक किसी भी जाति या जाति से उच्च योग्य होना चाहिए। उन्होंने यह कहकर सह-शिक्षा का समर्थन किया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

आंबेडकर ने कई शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसलिए उन्हें छात्रों के मन की गहरी समझ थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को छात्रों के आत्मविश्वास का निर्माण करना चाहिए और छात्रों को परीक्षा के दौरान या सीखे गए कौशल का उपयोग करके आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने मूल्य शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि

#### Article Indexed in :

DOAJ  
BASE

Google Scholar  
EBSCO

DRJI  
Open J-Gate

छात्रों को ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता और व्यवहार और चरित्र में आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए। ज्ञान के साथ सभ्यता जरूरी है और सभ्यता के बिना ज्ञान बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों में सामाजिक भावनाओं को भी विकसित किया जाना चाहिए। आंबेडकर के अनुसार, प्रपरीक्षा में अच्छा स्कोर करना और डिग्री प्राप्त करना एक बात है, लेकिन सुसंस्कृत, ज्ञानी और एक अकादमिक होना दूसरी बात है। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों की सीखने की बुनियादी समस्याओं और त्रुटियों को समझें। विद्यार्थियों में कुछ नया रचने, तार्किक तरीके से प्रश्नों के उत्तर खोजने, आत्मविश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करने, आंतरिक विचारों को उचित रूप से दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने और अवधारणाओं का बुनियादी ज्ञान रखने की क्षमता का अभाव होता है। छात्रों को समाज और राष्ट्र की जलरतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। छात्रों की संस्कृति, रीति-रिवाजों, कर्तव्यों, अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विभिन्न समाजों के ज्ञान और तार्किक सोच को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार की जानी चाहिए।

आंबेडकर स्वयं एक कल्पनाशील और रचनात्मक शिक्षक थे। उनके अनुसार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षक ही इसका वास्तविक समर्थन प्रदान करता है। इसलिए, शिक्षा और क्षमता पूरी तरह से प्रामाणिक ज्ञान, आत्मनिर्भरता, सीखने के लिए दृष्टिकोण और शिक्षक के कौशल प्रदान करने पर निर्भर करती है। एक शिक्षक को बहुआयामी होना चाहिए। उसे तेज दिमाग और स्वभाव से चयनात्मक होना चाहिए। वे राष्ट्र निर्माता हैं क्योंकि शिक्षा शिक्षक के हाथ में है और राष्ट्र का विकास शिक्षित जनशक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में गरीब और जलरतमंद छात्रों को पढ़ाने के लिए बौद्धिक, सकारात्मक और दयालु शिक्षक होने चाहिए।

आंबेडकर ज्ञान के मामले में बहुत व्यापक और आदर्श हैं। ज्ञान प्रकाश है। यह प्रकाश मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास का आधार बने। ज्ञान का सन्दर्भ सामाजिक होना चाहिए और शिक्षा ही वह हथियार है जिससे मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है गुलामी के खिलाफ क्रांति। वे कहते हैं कि ज्ञान एक तलवार की तरह है और हर समाज और समूह इसे चलाने वाले को जानता है। बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए अच्छे चरित्र और शालीनता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि लोग शिक्षित होंगे तो राष्ट्र और समाज नष्ट हो जाएगा। शिक्षा ही मनुष्य का निर्माण करती है और शिक्षा के समान ही ज्ञान और विवेक का अनूठा मेल है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

साक्षरता और विकास की प्रगति पर जोर देते हुए, आंबेडकर कहते हैं कि किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देना उसकी साक्षरता की गारंटी नहीं है। एक स्कूल या शिक्षण संस्थान का उद्देश्य उसे साक्षर बनाना और जीवन भर शिक्षित करने की उसकी क्षमता का विकास करना है। जब तक बच्चे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक बच्चे को सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शिक्षा भोजन की तरह है जिसकी हर्में जीवन भर दैनिक आवश्यकता होती है।

सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन का रास्ता शिक्षा के माध्यम से है। आंबेडकर इस संदर्भ में कहते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देने के लिए समाज में परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रबल प्रवृत्ति होनी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया के बिना कोई भी समाज जागृत नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सामाजिक और व्यवहारिक असमानता को दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि मनुष्य का समाजीकरण और नैतिकता शिक्षा का उद्देश्य है क्योंकि शिक्षा संस्कृति और सभ्यता की नींव रखती है।

आंबेडकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो सभी की सेवा करे। उनका शैक्षिक मॉडल बौद्ध विचारधारा पर आधारित समाजवादी था। आंबेडकर के अनुसार, समाज तर्क पर आधारित होना चाहिए न कि जाति व्यवस्था की परंपराओं पर। प्रिष्ठड़े वर्गों ने महसूस किया है कि शिक्षा सबसे बड़ा भौतिक लाभ है जिसके लिए वे लड़ सकते हैं। हम भौतिक लाभों को छोड़ सकते हैं, हम सभ्यता के भौतिक लाभों को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उच्चतम शिक्षा का पूर्ण रूप से आनंद लेने के अधिकार और अवसर को नहीं छोड़ सकते। प्रिष्ठड़े वर्गों के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का यही महत्व है जिन्होंने हाल ही में सीखा है कि शिक्षा के बिना उनका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। अछूतों के लिए आंबेडकर का विचार उनके शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना था ताकि वे अपनी स्थिति को जान सकें, आकांक्षाएं हों और उच्च वर्ग के स्तर तक उठ सकें और राजनीतिक शक्ति के एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सके। अछूतों के लिए आंबेडकर के तीन अंतिम शब्द हैं शिक्षित करो, आंदोलन करो और समाज में खुद को ऊपर उठाने के लिए संगठित करो।

#### Article Indexed in :

DOAJ  
BASE

Google Scholar  
EBSCO

DRJI  
Open J-Gate

उनका मानना था कि दलित वर्गों की मुक्ति शिक्षा पर आधारित थी क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों का दावा कर सकता है और विकास के लिए प्रेरित हो सकता है। यह न केवल मानव मन को सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है बल्कि सामाजिक व्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस निर्णय लेने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। उन्होंने पूछा, प्रशिक्षा सामाजिक दासता को तोड़ने का सही हथियार है और यह शिक्षा ही है जो दलित जनता को ऊपर उठने और सामाजिक स्थिति, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक खतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रबुद्ध करती है। प्रशिक्षित दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जगाया और उन्हें एक ऐसे समाज की स्थापना की संभावनाओं से अवगत कराया, जहां उन्हें समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिल राएं और उन्हें समान माना जा सके।

दलित वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं - अनुच्छेद ३० (१) जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद ३० (२) भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव करने से राज्य को शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद २९ (२) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आदि भाषा या उनमें से कोई भी। अनुच्छेद ४६ राज्य को विशेष सावधानी के साथ कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।

शिक्षा प्रणाली खवयं को दमित वर्गों के लिए सशक्तिकरण, उत्थान और समानता के साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन सामाजिक -छिं से उनकी छवि नहीं बदली है। आज के ज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में दलित छात्रों को अभी भी उनके शिक्षकों द्वारा खारिज कर दिया जाता है जो तथाकथित उच्च जाति के छात्रों को पसंद करते हैं। निचली जातियों को अभी भी सीखने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है। हालांकि सरकार इन छात्रों के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अधिकतम संभ्या में छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है, लेकिन इन छात्रवृत्ति के बारे में कोई जन जागरूकता नहीं है।

अछूतों के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए, आंबेडकर ने जिला और स्थानीय अधिकारियों से दान और अनुदान के साथ पनवेल, पुणे, नासिक, सोलापुर, ठाणे और धारवाड़ जैसे विभिन्न स्थानों पर अछूत छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित किए। छात्रावास के छात्रों के लिए मुफ्त प्रवेश के साथ, यह अछूत छात्रों के लिए खुला था, आर्थिक बाधाओं के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कलंक ने हिंदू-बहुसंख्यक कॉलेजों में उनके पूर्ण व्यक्तित्व विकास को प्रभावित किया। इसलिए, आंबेडकर अछूतों के लिए एक अलग संगठन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने जुलाई १९४५ में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की।

आंबेडकर के निरंतर संघर्ष के कारण कुछ कारणों से इन जातियों और वर्गों में शिक्षा और साक्षरता बहुत कम है। यदि इन बाधाओं और बाधाओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले कुछ समय तक यह समस्या बनी रहने की संभावना है। काफी ध्यान पहले से ही दिया जा रहा है, लेकिन कवर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। सरकार इन छात्रों को उदारतापूर्वक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत में भी व्यावसायिक और गैर-पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंकों का प्रतिशत कम रखा जाता है। उनके लिए एक अलग कन्या छात्रावास शुरू किया गया है। बुक बैंक शुरू किए गए हैं और शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दिया गया है।

आंबेडकर ने जानबूझकर अनुच्छेद ४५ को राज्य नीति के दिशानिर्देशों में शामिल किया, जिसमें कहा गया था, प्रारंभ से दस वर्षों के भीतर, सभी बच्चों को उनके वयस्क होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। चौदह साल। प्रशिक्षा सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००८ विधेयक पारित किया और आंबेडकर को जन शिक्षा में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी। वंचित समूहों, वंचित समूहों और लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सरकार की नीति, माध्यमिक शिक्षा में बढ़ते नामांकन के साथ-साथ शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार की प्रतिबद्धता युवाओं को भविष्य का सामना करने के लिए आशा

#### Article Indexed in :

DOAJ  
BASE

Google Scholar  
EBSCO

DRJI  
Open J-Gate

और आत्मविश्वास से सशक्त और सुसज्जित करेगी। आंबेडकर के सार्वभौमिक शिक्षा के –षट्कोण के सामने कई चुनौतियाँ हैं। आंबेडकर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ऐसी नीतियों की योजना बनाने की आवश्यकता है।

### निष्कर्षः

आंबेडकर के अनुसार शिक्षा प्रकाश, दृष्टि और बुद्धि के द्वार खोलने की मुख्य कुंजी थी। शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो' समाज और राष्ट्र के लिए उनका मुख्य संदेश है। उनका कहना है कि शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है क्योंकि शिक्षा से ही समाज की प्रगति और विकास संभव है। मनुष्य को शोषण और दासता से मुक्त करने की शक्ति शिक्षा से मिलती है। उनका मानना था कि शिक्षा समाज में समानता लाने के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। उन्होंने दलित वर्गों को जगाने, उनकी दुर्दशा से अवगत कराने, आवाज उठाने और उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा का मार्ग दिखाने के लिए बहुत काम किया। शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित हो जैसे नारों के माध्यम से, उन्होंने दलितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में उच्च जातियों के साथ विलय करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 और 29 के तहत कुछ अधिकार प्रदान करके भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए शैक्षिक अधिकार भी सुनिश्चित किए।

### संदर्भः

१. आंबेडकर, बी. (१९९७), लेखन और भाषण, १४ (१) शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार
२. बाबासाहेब आंबेडकर: राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड-२, पीपी. ४०-४९.
३. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन और भाषण, खंड-१ में, प. १५, बॉम्बे: शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, (१९७९)
४. धवलेश्वर, सी.यू., (२०१७)। सीएसआर के माध्यम से सीमांत वर्गों के लिए रोजगार के अवसर - तीसरी अवधारणा - विद्यारों का एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम -३१, अंक -३६९, पीपी। २८-३१.
५. कांबले, आर. और मगर एस.वी. (२०१६)। विजयपुर जिले में डॉ. बी. आर आंबेडकर के सामाजिक आंदोलन और उनके अनुयायी भारत ऐतिहासिक -२०१६, अंतर्राष्ट्रीया रेसा जे। सोशल साइंस, ५ (४), ४३-४७,
६. सालगरे, एम.बी. (२०१७). दलित आंदोलन पर डॉ बी आर आंबेडकर के विचार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज (प्रत्यै), खंड-७, अंक-१
७. सिरसवाल आर.डी. (२०११): शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर डॉ. आंबेडकर के विचार। मेसलंद जर्नल ऑफ रिसर्च। ४ (१), १८०-१८३
८. सौभाग्य, जी. (२०१४): उच्च शिक्षा पर डॉ. बी.आर. आंबेडकर दर्शन और वर्तमान समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता। इंटरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल. ३,(२), १७७-१८१
९. त्यागराजन, ए.पी. (१९८१): तमिलनाडु के कुछ माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों का एक अध्ययन। भारतीय शिक्षा, ११, (५), २२-२६।